म᳡य᳕देश कृिष भ᳴ᳫडारगृह िनयम, 1961

1.संि᳒ᳯ᳙ नाम

2.पᳯरभाषाएं

3. अिधिनयम और िनयम᳖ के ᳕शासन हेतु िविहत ᳕ािधकारी कᳱ िनयुि᳘

4. लाइसे᳖स का आवेदन

5. लाइसे᳖स कᳱ अविध और ᳕ा᳟प

6. लाइसे᳖स शु᳒क

7. भंडारगृह खच᳜᳸

8. लाइसे᳖स का ᳕दाय

9. लाइसे᳖स᳕दान करने से इ᳖कार के कारण आवेदक को सूिचत ᳰकये जायᱶगे

10. भ᳴ᳫडारगृह बा᳴ᳫड

11. शु᳒ माल भ᳇ा

12. िविहत ᳕ािधकारी के आदेश के िव᳟᳒ अपील

13. खो गया ᱟआ फट गया या कटिपट गया अथवा अ᳖यथा पढने यो᳔य नहᱭ रहा लाइसे᳖स

14. भ᳴ᳫडारगृह रसीद

15. रसीद पर ᳯटकट

16. भ᳴ᳫडागृह रसीद का ᳕ा᳟प

17. ᳙᳙ᳯट हेतु भ᳴ᳫडारी का दाियᮢव

18. ᳙᳙ᳯट से रसीद᳖ कᳱ वै19. अ᳖तरणीय रसीदᱶ

ता पर ᳕भाव नहᱭ होगा

20. गैर अ᳖तरणीय रसीद᳖ का मु᳒ांकन

21. भ᳴ᳫडारगृह का उिचत ि᳇थित मᱶ रखरखाव

22. माल देने का कत

23. जमा करने वाला समान का िनरी᳒ण करेगा और हािन अथवा नुकसान यᳰद कोई हो का

सूचना प᳙ देगा

24. अ३तरणीय रसीद माल ϑदये जाने पर र करना अिनवायϕ होगा

25. खो गई, कट ϑफट गई अथवा अ३यथा पढने यो य न रही रसीद

26. िमले जूले सामान और उनके िलये भ डारी का दाियत्व

27. अ३तरणीरय रसीद मϑ खच का कथन होगा िजनके िलये गृहणािधकार का दावा है 28. सडने वाले और जोिखमपूणϕ माल

29. िवक्रय का ूभाव

30. रसीद का अ३तरण

31. बीमा

32. आग से हािनकी तत्काल सूचना की जायेगी

33. लेखा ϑक पृ ित

34. तौल करने वाले ूितचयक अथवा ौेणी कारक का कायϕ हेतु आवेदन

35. सि मिलत आवदेन

36. तौल करने वाले ौेणीकारक के कत

37. अपील

38. िववाद अ ेषण आवेदन की िवषय व तु

39. आवेदन कब र ϑकया जा सकेगा

40. नमून की जांच की जाये और ौेणीूमाण प ϑदेये जायϑ

41. शु क और खचϕ

42. कोई िϑकसी पकार को िविहत ूािधकारी को िववाद अगगेिषत करने से नहϑरोकेगा

43. लाइसे३स का िनल बन अथवा िनर तीकरण

44. गैर लाइसे३सूा िय को लाइसे३सूा नहϑ बतायϑगे

45. िनरीक्षण

46. अिधिनयम और िनयम के उ लंघन की सूचना

47. अिधिनयम के अंतगϕत अपरािध- भंडारी-

48. लाइसे३स के ूदाय आϑद का ूकाशन

49. भंडार गृह को हाथ मƶ लेना

50. पुन: ̾थापना अथवा नवीन लाइसƶस जारी करना

51. अिधिनयम के अ˃तगŊत सूचना प

52. िविहत ̢ािधकारी लाइसे˓स̕ का रिज̾टर रखेगा

53. िनरसन और बचाव

̢ा˚प 1

̢ा˚प 2

̢ा˚प 3

̢ा˚प 4

̢ा˚प 5

म˱य̢देश कृिष भ̆डारगृह िनयम, 1961

अिधसूचना ̗मांक 4046-4632 ̢˓̺ह िजसका ̢काशन म.̢. राजप̈ मƶ ̍दनांक 15.8.1991 को ̱आ।

4.संि̀̾̂ नाम— यह िनयम म˱य̢देश कृिष भ̆डारगृह िनयम, 1961 कहलायƶगे ।

5.प̥रभाषाएं— इन िनयम̕ मƶ, जब तक िवषय अथवा संदभŊ से अ˓यथा अपेि̀̾त न हो –

(एक) "अिधिनयम" से अिभ̢ेत है म˱य̢देयश कृिष भ̆डारगृह अिधिनयम, 1947 (1948 का ̗मांक 1);

(दो) "सरकारी सिमित" से अिभ̢ेत रा˓य के ̍कसी भी ̀े̈ मƶ सरकारी सिमितय̕ के रिज̾ ̘ीकरण संबंिधत त०समय ̢वृ̬ ̍कसी िविध के अंतगŊत पंजीकृत सहकारी सिमित;

(तीन) "̢ा˚प" से अिभ̢ेत है इन िनयम̕ से संल̀ ̢ा˚प;

(चार) "Ὸेणीकारक" से अिभ̢ेत है ऐसा ̆ ि̝ जो इस अिधिनयम के अंतगŊत Ὸेणी के अनुसार माल को वगŎकृत करने अथवा अ˓य ˚प मƶ वगŎकृत करने और ̢माण प̈ जारी करने हेतु लाइसे˓स ̢ा̂ हो;

(पांच) "लाइसे˓स" से अिभ̢ेत है इस अिधिनयम के अंतगŊत िविहत ̢ािधकारी ̳ारा जारी

ंकया गया लाइसेउस;

(छै) "अउतरणीय रसीद" से अिभ◌ेत है ऐसी रसीद िजसमं यह कथन ंकया गया हो ंक उसमं िविहत माल धारक को अथवा उसकड आ◌ा से नामांंकत ◌ िकत को ंदया जायेगा;

(सात) "गैर अउतरणीय रसीद" से अिभ◌ेत है ऐसी रसीद िजसमं यह कथन ंकया गया हो ंक उसमं िविहत माल इसके जमा करने वाले को ंदया जायेगा;

(आठ) "िनयम" से अिभ◌ेत है इस िनयम के अंतगभात बनाये गये िनयम

(नौ) "◌ितचयन" से अिभ◌ेत है ऐसा ◌ िकत जो इस अिधिनयम के अंतगभात माल का ◌ितचयन करने और उसका ◌माणप जारी करने हेतु लाइसेउस ◌ा◌ हो;

(दस) "भ◌डारी का बो◌ड" से अिभ◌ेत है ऐसा बो◌ड जो इस अिधिनयम के ◌ारा भ◌डार के िलए देना अपेि◌त है;

(◌यारह) "भ◌डारगृह रसीद" से अिभ◌ेत है ऐसी रसीद जो इन िनयम◌ के अंतगभात जमा करने ◌ारा भ◌डारी ◌ारा जारी कड जाये िजसमं यंद यह कथन हो ंक उसमं बताया गया कुछ माल उसके भ◌डारगृह मं जमा ंकया गया हो; और

(बारह) "तौल करने वाला" से अिभ◌ेत है ऐसा ◌ िकत जो इस अिधिनयम के अउतगभात माल का तौल करने और उसका ◌माण प जारी करने हेतु लाइसेउस ◌ा◌ हो ।

6. अिधिनयम और िनयम◌ के ◌शासन हेतु िविहत ◌ािधकारी कड िनयुि◌ – (1) उपिनयम (2) अथवा (3) मं िवपरीत ◌ावधान को छोडकर, रिज◌◌ार, सहकारी सिमितयां म◌य ◌देश (अ◌प◌ ◌ात रिज◌टार उि◌ल िखत) अिधिनयम कड धारा 2 कड कंिडका (इ) और िनयम◌ के अथ◌ मं िविहत ◌ािधकारी होगा ।

(2) अिधिनयम कड धारा 18 कड उपधारा (1) के अिभ◌ाय हेतु िविहत ◌ािधकारी भ◌डारी होगा ।

(3) रिज◌◌ार ंकसी अिधकरी को, ंकसी िविनंद◌◌ मं और ऐसी शत◌ के अ◌यधीन, जो िविहत कड जाये यंद कोई ह◌, उपिनयम (1) के अउतगभात िविहत ◌ािधकारी के ◌प मं उसे ◌द◌ सभी

अथवा कोई शक्तियां उपयोग करने हेतु लिखित में प्राधिकृत कर सकता है और इस पर ऐसा अधिकारी, रजिस्ट्रार द्वारा ऐसे अधिकारी को प्रदत्त प्राधिकारी की सीमा तक, विहित प्राधिकारी माना जायेगा ।

4. लाइसेंस का आवेदन— (1) किसी क्षेत्र में भण्डारगृह का व्यवसाय चलाने का इच्छुक भंडारी, विहित प्राधिकारी को प्ररूप 1 में आवेदन करेगा ।

(2) ऐसा आवेदन विहित प्राधिकारी के कार्यालय के घण्टों में आवेदक द्वारा व्यक्तिगत रूप से अथवा उसके अभिकर्ता द्वारा दिया जायेगा अथवा विहित प्राधिकारी की सेवा में पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जायेगा ।

(3) प्रथम बार आवेदक किसी भी दिनांक को किया ला सकेगा परन्तु लाइसेंस के नवीकरण हेतु आवेदन उसकी अवधि की समाप्ति से कम से कम 30 दिन पूर्व किया जाना चाहिए ।

5. लाइसेंस की अवधि और प्ररूप – लाइसेंस प्ररूप 2 में रहेगा और आने वाली 30 जून तक वैध रहेगा ।

6. लाइसेंस शुल्क – भंडारी की लाइसेंस जारी करने हेतु वार्षिक शुल्क 20 रुपये लिया जायगा ।

7. भंडारगृह खर्च— कोई भंडारी की गई सेवाओं हेतु उसके लाइसेंस द्वारा प्राधिकृत खर्च से अधिक खर्च नहीं लेगा । इस अधिनियम के अन्तर्गत भंडार गृह का संचालन करने के लिए लाइसेंस के प्रदाय के पूर्व भंडारी विहित प्राधिकारी के समक्ष स्वीकृति हेतु लाइसेंस प्राप्ति पर अपने नियमों और उसके द्वारा किये जाने वाले अधिकतम खर्चों की अनुसूची की एक प्रति प्रस्तुत करेगा ऐसे नियमों अथवा खर्चों की अनुसूची में कोई परिवर्तन विहित प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के अध्यधीन रहेगा। प्रत्येक भण्डारी विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति अपने वर्तमान नियमों और खर्चों की अनुसूचि की एक प्रति किसी उचित स्थाप पर पदर्शित करेगा। वह उसका हिन्दी अनुवाद भी प्रदर्शित करेगा।

8. लाइसेंस का प्रदाय—(1) लाइसेंस के प्रदाय हेतु आवेदन की प्राप्ति पर विहित प्राधिकारी अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत अपेक्षित जांच करेगा । यदि उसका समाधान हो जाए कि मांगी गई

ितभूत दे दी है और पर्याप्त और उक्त धारा द्वारा विहित शर्तों का पालन किया गया हो तो वह प्रारूप दो में लाइसेंस प्रदान करेगा ।

(2) भंडारगृहों को प्रदान किये गये लाइसेंस को क्रमांकित किया जाएगा और ऐसे लाइसेंस का एक रजिस्टर विहित प्राधिकारी द्वारा रखा जायेगा ।

9. लाइसेंस प्रदान करने से इंकार के कारण आवेदक को सूचित किये जायेंगे— यदि विहित प्राधिकारी कोई लाइसेंस प्रदान करने से इंकार करता है तो वह आवेदक को लिखित में इंकार के तथ्य कारणों की सूचना देगा ।

10. भण्डारगृह बाण्ड — लाइसेंस हेतु आवेदन करते समय, भण्डारी प्राधिकारी के समक्ष, उसके अन्तर्गत सभी शर्तों की पूर्ति हेतु, लाइसेंस की आविण के दौरान, ऐसी प्रतिभूति प्रस्तुत करेगा जिसकी राशि का निर्धारण, भण्डारगृह की भण्डार क्षमता, भण्डारित किये जाने वाले माल की प्रकृति और उसमें संबंधित अन्य मामलों को ध्यान में रखते हुए किया जायेगा:

परन्तु यह कि कृषि उपज विकास एवं भण्डारगृह अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत स्थापित भण्डारगृह नियम द्वारा कोई बाण्ड देने की आवश्यकता नहीं है ।

11. शुद्ध माल भण्डा— भंडारगृह की भंडारण क्षमता और उसमें भंडारित किये जाने वाले माल की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भंडारी को सभी छूट और और देनदारियों के अतिरिक्त भंडार गृह के संचालन के उत्पन्न होने वाली किसी उधारी को चुकाने हेतु, ऐसी सीमा तक जो विहित प्राधिकारी द्वारा विहित की जाये तो भंडारी उन्हे आग से हानि अथवा नुकसानी के विरुद्ध विहित प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत कम्पनी अथवा कम्पनियों के साथ बीमा के अन्तर्गत रखना होगा:

परन्तु यह कि कृषि उपज विकास एवं भण्डारगृह अधिनियम, 1956 (1956 का क्रमांक 28) के अन्तर्गत स्थापित भण्डारगृह निगम द्वारा ऐसे माल मते रखना आवश्यक नहीं होगा ।

12. विहित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील— (1) यदि भण्डारगृह के संचालन हेतु किया गया आवेदन रजिस्ट्रार के अतिरिक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जाये तो ऐसे

िनर㘶तीकरण से दुिखत ्यि㄰ रिज㘶ĺार के सम␒ ऐसे िनर㘶तीकरण के आदेश के उस ्यि㄰ को सूचना के

ᳰदनांक से 30 ᳰदन के अ३दर अपील कर सकेगा ।

(2) अपील ᮧािधकारी अपीलाथᱮ अथवा उसके अिधव㄰ा के सुनवाई का युि㄰ यु㄰ अवसर देने के पू

ात् अपील पर िनणᭅय देगा । अपीलीय ᮧािधकारी का िनणᭅय अि३तम होगा ।

13. खो गया नᳯआ फट गया या कटिपट गया अथवा अ३यथा पढने यो㄰य नहᱭ रहा लाइसे३स— भंडारी

को जारी ᳰकये गये लाइसे३स के खो जाने अथवा नᳯहो के संतोषजनक ᮧमाण िमलने पर अथवा ऐसे लाइसे३स को

फटी ᱟई कटीᳰफटी ᱟई अथवा अ३यथा पढने यो㄰य न रहने कᳱ ि㘶थित मᱶ ᮧ㘶तुत ᳰकये जाने पर िविहत

ᮧािधकारी कᳱ इ㌌छा पर, िविहत ᮧािधकारी ᳇ारा 5 ᱨपये के शु५क के भुगतान पर मूल लाइसे३स के

ĺमांक डु२लीकेट लाइसे३स जारी ᳰकया जा सकेगा। फटा ᱟआ, कटा-िपटा अथवा पढनᱶ यो㄰य नहᱭ रहा

लाइसे३स भंडारी को जमा कर देना पडेगा।

14. भ㌀डारगृह रसीद—अिधनियम के अ३तगᭅत लाइसे३स ᮧा᳙ भ㌀डारगृह मᱶ, जमा करने

वाले ᳇ारा भंडाᳯरत माल हेतु ᮧाᱨप तीन मᱶ रसीद जारी करेगा ।

15. रसीद पर ᳯटकट— भ㌀डारी ᳇ारा उस ᮧकार जारी कᳱ गई माल हेतु ᮧ०येक रसीद पर,

रा३य मᱶ यथा ᮧवृᱫ भारतीय ㄹटा२प अिधनियम 1899, (1899 का ĺमांक 2) मᱶ िविहत मू५य कᳱ ᳯटकट लगेगी

।

16. भ㌀डागृह रसीद का ᮧाᱨप— रसीद मᱶ िन᳜ यौरे ᳰदये जायᱶगे:

(अ) भंडारगृह का ㄹथान जहां माल भंडाᳯरत है ;

(आ) उस ्यि㄰ का नाम िजसने अथवा िजसकᳱ ओर से जमा ᳰकया गया है;
(इ) रसीद जारी ᳰकये जाने कᳱ ᳰदनांक;
(ई) यह कथन—

(एक) ᳰक माल रसीद के धारक को ᳰदया जायेगा; अथवा

(दो) ᳰक सामान धारक अथवा नामांᳰकत ्(उ) भ㌀डारण खच㄰ कᳱ दर;

ि㄰ को ᳰदया जायेगा;

(ऊ) िविहत ᮧािधकारी ᳇ारा इस अिभᮧाय हेतु िविहत ᮧाᱨप मᱶ माल अथवा उसको

रखने वाले बंडलो कᳱ पहचान;

(ए) भंडारी ᳇ारा उसके ᮧािधकृत अिभकताᭅ㄰ के ह㘶ता␒र;

(ऐ) यᳰद भ㌀डारी सहकारी सिमित है तो ᳰकसी अिUम और उठाई गई देनदारी िजसके िलए

भंडारी गृहणाधिकार का दावा करता है, ऐसा विवरण ।

17. ूुूट हेतु भण्डारी का दायित्व— कोई भी भंडारी यदि अन्तरणीय रसीद पर नियम 16, द्वारा ूैरे देने में ूुूट करता है तो वह ूुूट द्वारा हुई नुकसानी के लिए उत्तरदायी होगा ।

18. ूुूट से रसीदों की वैधता पर प्रभाव नहीं होगा— कोई रसीद नियम 16 द्वारा अपेक्षित ूैरे में किसी ूुूट के कारण भंडारगृह की रसीद के रूप में आमान्य नहीं होगी ।

19. अन्तरणीय रसीदें— अन्तरणीय रसीद पर अन्तरणीयता सीमांकित करने वाले शब्द अवैध होंगे ।

20. गैर अन्तरणीय रसीदों का मुद्रांकन- भंडारी जो गैर अन्तरणीय रसीद, जारी करे उस पर स्पष्ट रूप से शब्द "गैर अन्तरणीय" मुद्रांकित करायेगा ।

21. भण्डारगृह का उचित स्थिति में रखरखाव— भंडारी अपने भंडारगृह को अच्छी और उचित स्थिति में रखेगा और विहित प्राधिकारी द्वारा इस हेतु बनाये गये विस्तृत नियमों यदि कोई हो, का पालन करेगा ।

22. माल देने का कतउललेखित माल देगा
–भंडारी वैधानिक कारण के अभाव में भंडारगृह रसीद में

(अ) अन्तरणीय रसीद के मामले में उसके धारक द्वारा कार्यालय के घण्टों में मांग किये जाने पर- (एक) भंडारी के गृहणाधिकार की संतुष्टि पर;

(दो) रसीद के अन्तरण हेतु आवश्यक ऐसे समर्थनों सहित रसीद जमा करने पर; और (तीन) लिखित में माल की प्राप्ति की अभिस्वीकृति दिये जाने पर;

(आ) गैर-अन्तरणीय रसीद के मामले में जमा करने वाले को कमा करने वाले द्वारा-

(एक) भंडारी के गृहणाधिकार की संतुष्टि पर;

(दो) लिखित में माल की प्राप्ति की अभिस्वीकृति दिये जाने पर;

23. जमा करने वाला समान का निरीक्षण करेगा और हानि अथवा नुकसान यदि कोई हो का सूचना प देगा-- जमा करने वाला माल की प्राप्ति के समय माल के सामानों का निरीक्षण करेगा और माल की प्राप्ति के 72 घण्टों के अन्दर, माल को हुई हानि अथवा नुकसानी यदि कोई हो, के ब्यौरे देते हुए, भंडारी को लिखित में सूचना-पत्र

देगा। सुचना-पत्र की एक प्रति विहित प्राधिकारी को भेजी

जायेगी। जमा करने वाले द्वारा भंडारी को नुकसानी के दावे का वैसा सूचना-पत्र दिया जायेगा यदि

जमा करने वाले को भंडारगृह मꅼ रखे माल कꀠ हाꢂन अथवा नुकसानी कꀠ जानकारी ꢂमलती है ।

24.अꢁतरणीय रसीद माल ꢂदये जाने पर र꠰ करना अꢂनवायꢁ होगा – (1) ꢂनयम 28 के ꢂꢁवधान꠰ को छोडकर भंडारी जो माल देता है ꢂजसके ꢂलए उसके अꢁतरणीय रसीद जारी कꀠ है, उस रसीद को लेकर र꠰ कर देगा ।

(2) ꢂनयम 29 के ꢂꢁवधान꠰ को छोडकर ꢂꢁयेक भंडारी जो माल का एक भाग देता है, ꢂजसके ꢂलए उसने अꢁतरणीय रसीद जारी कꀠ है, रसीद पर ꢂदये गये माल अथवा बꢁडल꠰ का ꢂप-ꢂववरण देगा ।

25. खो गई, कट ꢂफट गई अथवा अꢁयथा पढने यो꠰य न रही रसीद—यꢂद कोई अꢁतरणीय रसीद खो जाये, न꠰ हो जाये, फट जाये, या कटꢂफट जाये अथवा अꢁयथा पढने यो꠰य न रहे तो भंडारी माल के कꢂजे के वैधाꢂनक अꢂधकारी ꢂꢂ꠰ ꢂꢁारा आवेदन ꢂकये जाने पर, ऐसे खो जाने अथवा न꠰ हो जाने के संतोषजनक ꢂमाण पर अथवा ऐसी रसीद के पꢂतुत ꢂकये जाने पर जो फट गई हो, कटिपट गई अथवा अꢁयथा पढने यो꠰य न रही हो जमा करने वाले को जांच के पꢂ ꢂात और ꢂमाणीकरण के पꢂ ꢂात कꀠ उसे "डुꢂलीकेट" मुꢂꢂꢂकत ꢂकया जायेगा, एक डुꢂलीकेट रसीद जारी करेगा। जमा करने वाले ꢂꢁारा फटी ꢂई, कट ꢂपटी गई अथवा अꢁयथा पढने यो꠰य न रही रसीद स꠰प देना होगी, भंडारी ऐसे ꢂ ꢂ꠰ से, ꢂकयसी दाꢂयꢂव ꢂ य अथवा खचꢁ हेतु जो उसे मूल रसीद के बाकꀠ रह जाने पर उठाना पडे, ꢂꢂतपूꢂꢂत (इनडेमिनटी) कꀠ अपेꢂꢂ कर सकेगा।

26. ꢂमले जूले सामान और उनके ꢂलये भꢂꢂडारी का दाꢂयꢂव—करार ꢂꢁारा ꢂाꢂधकृत भंडारी माल को उसी ꢂकार और उसी ꢂेणी के अꢁय माल के साथ ꢂमलाकर रख सकेगा। ऐसे माल मꅼ ꢂमले जुले माल हेतु जारी कꀠ गई रसीद धारक समान ꢂप से पूरे माल का ꢂवामी होगा और ꢂꢁयेक धारक उसके ऐसे अनुपात का अꢂधकारी होगा, जो अनुपात उसके ꢂꢁारा जमा ꢂकये गये माल को दशाꢁने वाली रसीद कꀠ माꢂꢂ पूरे माल पर रखती हो।

27. अꢁतरणीरय रसीद꠰ मꅼ खच꠰ का कथन होगा ꢂजनके ꢂलये गृहणाꢂधकार का दावा है—जहां

माल हेतु अ३तरणीय रसीद दी जाती है, भंडारी माल पर कोई गृहणाििधकार का अिधकारी नह८ होगा

िसवाए उस माल के भंडारण हेतु खच□ के जब तक ठक रसीद पर अ३य खच□ का उ५लेख न हो िजनके

िलए गृहणाििधकार का दावा ठकया जाये ।

28. सडने वाले और जोिखमपूण॑ा माल – (1) यठद माल सडने वाली ◌ृकृित का है अथवा

उसके भंडारण से मू५य म॰ अ०यिधक कमी आ सकती है अथवा अ३य भंडा६रत माल को ि◌ित हो सकती

है तो भंडारी जमा करने वाले को ऐसी प६रि◌थय□ के अ३तग॑ात ऐसा युि□ यु□ और और उिचत सूचना

प◌् देगा िजसम॰ भं◌ाडारगृह म॰ भं◌ाडा६रत माल के गृहणाििधकार कऽ संतुि◌म॰ असफलता पर और सचना

प◌् म॰ िविहत अविध म॰ माल न उठछाने पर, भंडारी माल को साव॑ाजिनक नीलाम ◌ारा ब॰च सकेगा ।

सूचना प कऽ एक ◌ृित उस ◌् ि□ को भी भेजी जायेगी िजसकऽ ओर से जमा करने वाले ने भंडारगृह

म॰ उपज भंडा६रत कऽ है, यठद ऐसे ◌्
ि□ का नाम और पता भंडारी को ◌ात है ।

(2) उपिनयम (1) म॰ उ५लेिखत सूचना प◌् उस ◌्ि□ के अि३तम ◌ात पते पर रिज◌कृत डाक

◌ारा भेजा जायेगा िजसे सूचना प◌् ठदया जाना है ।

(3) यठद भंडारी युि□ यु□ के प◌्ात माल को साव॑ाजिनक नीलाम ◌ारा बेचने म॰ सफल नह८

होता तो वह उसे ठकसी भी रीित म॰ ब॰च सकेगा और इस कारण उस पर कोई दाियव नह८ आयेगा ।

(4) भंडारी इस िनयम के अनु॰प कऽ गई िबऽ से ◌ृा◌् मू५य को अपने गृहणाििधकर कऽ संतुि◌

हेतु रख लेगा और शेष रािश कऽ रसीद के धारक के िलये ३यास म॰ रख सकेगा ।

29. िवऽय का ◌ृभाव—जहां भंडारी के गृहणाििधकार कऽ संतुि◌हेतु माल वै ॰प से

िवऽश् कर ठदया गया है, भंडारी रसीद के घारक को माल देने म॰ असफलता हेतु उ॰रदायी नह८

होगा।

30. रसीद का अ३तरण-- गैर अ३तरणीय रसीद के अ३तग॑ात माल जमा करने वाले ऽेता को

अंन६रत ठकया जा सकता है अथवा जमा करने वाला ◌ारा िलिखत ठदये गये अ३तरण ◌ारा माल दान

◌िहता को अंत६रत ठकया जा सकता है, पर३तु अंतरण भंडारी को ◌ृभावी अथवा आब◌कर नह८ होगा

जब तक उसकऽ िलिखत सूचना उसे न दी जाये ।

31. बीमा—भंडारी भंडारगृह का आग और अ३य जोिखम के िव७ पूणॠ बीमा करायेगा और

यठद िविहत ◌ाििधकारी ाारा िनदॆिशत ठकया जाये। वह भंडारगृह मॆ जमा ठकये गये माल का बीमा

आग के जोिखम आठद के िव७ करा देगा और उस अिभ◌ाय हेतु वह जमा करने वाले का अिभकताॠ

माना जाएगा।

32. आग से हािनकइ त०काल सूचना कइ जायेगी – यठद ठकसी समय ठकसी भंडारगृह मॆ आग

लग जाये तो यह भंडारी का कतॠ होगा ठक वह 24 घटे के अ३दर त०काल, ऐसी आग लगने और

और हािन कइ सीमा कइ सूचना िविहत ◌ाििधकारी को और बीमा कंपनी को देगा ।

33. लेखा ठक पाित-- (1) ◌०येक भंडारी इस अिभ◌ाय हेतु िविहत ◌ाििधकारी ाारा

ंवीकृित

देगा-

इसमॆ सिमिलत ह.—

(एक) भंडारण हेतु ◌ा माल कइ पहचान और अंत ◌ोरे दशाॠने वाला भंडार ६रकाडॠ, इसकइ

िंथित भंडारगृह मॆ ◌ाि बौर ठदये जाने का ठदनांक;

(दो) जारी कइ गई और र कइ गई रसीदे ;

(तीन) माल के ◌तयेक जमा करने वाले हेतु अलग ६रकाडॠ िजसमॆ सिमिलत हगे सभी

रािशय कइ ◌ाि और खच का िवंतार पूवॠक ६रकाडॠ और कराये गये समंत

बीमा और र ठकये गये बीमा के ६रकाडॠ;

(चार) िनयम 28 के अ३तगॠत सूचनाप देने हेतु भंडारगृह के रसीद के अगले धारक को ◌िव

करने हेतु रिजंटर;

(पांच) सामा३य बीमा लेखा िजसमॆ दशाॠये जायॆगे पािलसी मांक जारी करने वाले सभी कपनी,

बीमॆ कइ रािश और समाि आग और अ३य जोिखम का ठदनांक उसके ाारा ली

गई बीमा पॉिलसी और उनके अ३तगॠत संपि ।

(2) भंडारगृह से संबंिधत समंत ६रकाडॠ, पुंतकॆ और कागजात ठकसी सुरित ंथान पर रखे

जायॆगे ।

(3) भंडारी िविहत ◌ाििधकारी ◌ारा ◌ाििधकृत ◌ ि◌य□ को उसके भंडारगृह और उसके ◌ारा रखी गई सम◌ित पु◌तक◌, ◌रकाड◌ और द◌तावेज□ का िनरी◌ण और जांच करने क◌ अनुमित देगा ।

(4) भंडारी िविहत ◌ाििधकारी को समय समय पर उसके ◌ारा अपे◌ित, ि◌थितय□ माल, संचालन और भंडारगृह के ◌ वसाय संबंिधत ◌रप□ट देगा ।

34. तौल करने वाले ◌ितचयक अथवा ○◌णी कारक का काय◌ हेतु आवेदन— तौल करने वाले, ◌ितचयक अथवा ○◌णी कारक का काय◌ हेतु आवेदन ◌◌प 4 म◌ िविहत ◌ाििधकारी को ◌कया जायेगा। आवेदन आवेदक ◌ारा ह◌ता◌◌रत होगा। िविहत ◌ाििधकारी 5 ◌पये वा◌षक लाइसेनस शुलक चुकाने पर तौल करने वाले, ◌ितचयक अथवा ○◌णीकारक को लाइसे◌स जारी कर सकेगा य◌द उसका समाधान हो जाये ◌क आवेदक तौल, ◌ितचयन अथवा ○◌णीकारक जैसी भी ि◌थित हो, रा◌य शासन ◌ारा िनधा◌◌रत ◌मािणता के अनु◌प ◌प ठीक से कर सकता है अथवा ऐसी ◌मािणकता के अनु◌प 1 आवेदक, िविहत ◌ाििधकारी ◌ारा उसके आवेदन से संबंिधत अपे◌ित अित◌र□ सूचनाएं देगा ।

35. सि◌मिलत आवदेन— ◌कसी ◌ ि□ ◌ारा तौल करने वाले, ◌ितचयक अथवा ○◌णीकारक का काय◌ करने हेतु लाइसे◌स हेतु सि◌मिलत आवेदन ◌कया जा सकता है ।

36. तौल करने वाले ○◌णीकारक के कत — (1) ◌येक तौल करने वाला ◌ितचयक अथवा ○◌णीकारक िबना ◌कसी भेद भाव के, यथाशीघ भंडारगृह म◌ भंडा◌रत क◌ जाने वाली कृिष उपज का तौल ◌ितचयन अथवा वग◌करण कर देगा, जैसी भी ि◌थित हो, और ○◌णी आ◌द को ◌मािणत कर देगा।

(2) ◌सेक तौल करने वाला ◌ितचयक अथवा ○◌णीकरक ◌◌प 5 म◌ ◌माण प◌ जारी और िलिखत अथवा मु◌◌त यप से सि◌मिलत ह□गे—

(एक) आलेख म◌य◌देश कृिष भंडारगृह अिधिनयम, 1947 तौल/◌ितचयन/○◌णी ◌माण-प◌ ;

(दो) भंडारगृह का नाम और ◌थान जहां अनाज, अथवा उपज, भंडा◌रत क◌ जाना है; (तीन) ◌माण प◌ का ◌दनांक;

(चार) ◌माण प◌ ◌मांक;

(पांच) ◌माण प◌ के अ◌तग◌त अनाज अथवा उजप क◌ तौल;

(छ:) ◌ɀमाण –प◌ु के अ³तगᇴत अनाज अथवा उपज कѕ Ο◌ेणी;

(सात) लाइसे³स ◌ɀ◌ा◌ृ तौल करने वाले अथवा ◌ɀ◌ितचयक अथवा Ο◌ेणीकारक ᳇◌ारा ◌िनधाᇴ᳇रत अनाज अथवा उपज कѕ Ο◌ेणी और तौल;

(आठ) यह ᳰक ◌ɀमाण प◌ु म᭨य ◌ɀदेश कृ◌िष भंडारगृह अिधिनयम और उसके अ³तगᇴत ◌िनयम◌ों के अ³तगᇴत जारी ᳰकया जाता है;

(नौ) लाइसे³स ◌ɀ◌ा◌ृ तौल करने वाले ◌ɀ◌ितचायक अथवा Ο◌ेणीकारक के ह◌ःता◌ि◌र।

37. अपील – धारा 20 कѕ उपधारा (2) म᭛ उ᭨लेिखत ◌िववाद ◌िविहत ◌ɀ◌ा◌िधकारी को ◌िववाद कारण के 72 घ᭛टे के अ³दर अ᭠◌े◌िषत कर ᳰदये जाय᭛गे।

38. ◌िववाद अ᭠◌ेषण आवेदन कѕ ◌िवषय व◌ःतु– ◌िविहत ◌ɀ◌ा◌िधकारी को ᳰकये गये अ᭠◌ेषण के आवदेन म᭛ ◌िन᳜ कथन ह◌ोंगे ---

(एक) ◌िववाद अ᭠◌े◌िषत करने वाले प◌ᭃकार का नाम, ◌िनवास और पो◌ःट आᳰफस ;

(दो) अ³य संबं◌िधत प◌ᭃकार◌ों के नाम और डाक के पते ;

(तीन) लाइसे³स ◌ɀ◌ा◌ृ भंडारगृह का नाम और ◌ःथान ◌िजसम᭛ अनाज अथवा उपज भंडा᳇रत थी अथवा है;

(चार) ◌िववाद ◌ɀ◌ःतुत करते समय अनाज कѕ पहचान और ◌ःथान ;

(पांच) ◌ᭃया नमून◌ों पर सहमित है और ◌ɀ◌ःतुत ᳰकये गये ह.,

(छ:) ◌ɀ◌ितचयक, Ο◌ेणीकारक अथवा तौल करने वाले का नाम; और

(सात) उस कायाᇴलय ᳇◌ारा अपे◌िᭃत ऐसी अ³य सूचना जहां ऐसा आवेदन ◌ɀ◌ःतुत ᳰकया गया है। ऐसा आवेदन प◌ᭃकार ᳇◌ारा ह◌ःता◌ि◌᳇रत ᳰकया जायेगा और ᳰकसी अ³य अथवा ऐसे ◌िववाद म᭛ ◌िहत रखने वाले सम◌ःत प◌ᭃकार◌ों ᳇◌ारा ह◌ःता◌ि◌᳇रत ᳰकया जा सकेगा ।

39. आवेदन कब र◌ᲂ ᳰकया जा सकेगा— ◌िविहत ◌ɀ◌ा◌िधकारी ◌िजसे आवदेन ᳰकया है, ◌िबना ◌िनणᇴय ᳰदये आवेदन को र◌ᲂ कर सकेगा --

(एक) ◌िववाद अगे◌िᮧत करने वाले प◌ᭃकार कѕ याचना पर ;

(दो) यᳰद यह पता लगता है ᳰक आवेदन सदभावनापूवᇴक नह᳡ ᳰकया गया ; (तीन) ◌िनयम◌ों का पालन न करने पर; अथवा

(चार) □य□δक िववाद को िनण८त करने हेतु पयाप्त सा॑य उपल︐ध नह८ है ।

40. नमून□ कऽ जांच कऽ जाये और Oे़णी◌ृमाण प◌्δदेये जायॅ— िववाद से संबंिधत अनाज के नमून अथवा नमून□ कऽ यथाशी⁄ जांच कऽ जायेगी। ऐसे पδरं◌ि◌ण δकये जायॅगे जो आव॑यक ह□। िववाद कऽ सुनवाई करने वाले िविहत ◌ृ◌ािधकारी ⫶⁄⁄⫶◌ारा ऐसे अनाज के उसके ⫶⁄⁄⫶◌ारा िनधाप्तδरत तौल अथवा Oे़णी को दशाप्ते ॐए Oे़णी अथवा तौल का ◌ृमाण प◌् δकया जायेगा। ऐसा Oे़णी अथवा तौली ◌ृ◌ाण प◌्

पूवप्त मॅ जारी δकये गये Oे़णी अथवा तौल ◌ृमाण प◌् को र□ करेगा। नवीन ◌ृमाण पा◌् कऽ ◌ृ◌ितयां भंडारी और िववाद अ⁄े◌िषत करने वाले प॑◌कार□ को भेजी जायेगी।

41. शु५क और खचप्त— िववाद□ के िवषय मॅ देय शु५क एवं अ३य खच९ ऐसे माप से लगॅगे जो िविहत ◌ृ◌ािधकारी ⫶⁄⁄⫶◌ारा इस हेतु िनयम δकयॅ जायॅ और यह आवेदक से वसूल δकये जायॅगे।

42. कोई िि□δकसी प॑◌कार को िविहत ◌ृ◌ािधकारी को िववाद अगगेिषत करने से नह८रोकेगा— इस अिधिनयम के अ३तगप्तत लाइसे३स ◌ृ◌ा◌् कोई ◌्

ि□ ◌ृ०य॑◌ अथवा परो॑◌ ९प से δकसी ◌ृकार δकसी प॑◌कार को, िववाह अ⁄े◌िषत करने से नह८ रोकेगा अथवा न रोकने का ◌ृयास करेगा । 43. लाइसे३स□ का िनल︶बन अथवा िनर॑तीकरण—िविहत ◌ृ◌ािधकारी δकसयी िववाद कऽ ◌ृ◌ाि◌् पर अथवा िलिखत मॅ कारण□ को अिभिलखत करते ॐये δकसी तौल करने वाले, ◌ृितचयक अथवा Oे़णी कारक का लाइसॅस िनर॑त कर सकेगा।

44. गैर लाइसे३स◌ृ◌ा◌् ि□॑वयं को लाइसे३स◌ृ◌ा◌् नह८ बतायॅगे— लाइसे३स ◌ृ◌ा◌् भंडारी ◌ृ०येक भंडारगृह हेतु उिचत बोडप्त लगाकर अ◌्छे से ◌ृद∺शत करॅगे δक उनका भंडारगृह लाइसे३स ◌ृ◌ा◌् भंडारगृह है।

45. िनरी॑◌ण- िविहत ◌ृ◌ािधकारी ितमाही मॅ कम से कम एक बार लाइसे३स ◌ृ◌ा◌् भंडारगृह उसमॅ लगे सामान आδद का िनरी॑◌ण कराएगा और िलिखत मॅ δरप□ट ◌ृ◌ा◌् करेगा और भंडारी को ऐसे िनद९श देगा जो उसे उिचत ◌ृतीत ह□ । कोई भंडारी अपने भंडारगृह मॅ सडे अथवा घुन लगे माल को ॑ वीकृत नह८ करेगा । िजससे भंडारगृह मॅ भंडाδरत अ३य माल को ॑◌ित पॐचाने कऽ संभावना हो । यδद भंडारी ऐसे िनद९श□ के पालन मॅ लापरवाही करता है अथवा पालन नह८ करता हो तो िविहत ◌ृ◌ािधकारी भंडारी कऽ सुनवाई के पू◌ ◌ात उसका लाइसे३स िनर॑त िनिल︶बत कर सकेगा ।

46. अिधिनयम और िनयम के उ५लंघन कऽ सूचना– इस अिधिनयम के अंतगभ्रत लाइसे३स ूा ूऽयेक ृ8कत िविहत ूािधकारी को उसकऽ जानकारी मः आई वह सूचना तुर३त देगा, िजससे यह संकेत िमलता हो 8क अिधिनयम और िनयम के 8कसी ूावधान का उ५लंघन 8कया गया है ।

47. अिधिनयम के अंतगभ्रत अपराधि- भंडारी-

(एक) माल कऽ वा+तिवक ूाि् के िबना भंडारगृह कऽ रसीद जारी नहछ करेगा ;

(दो) भंडारगृह रसीद मः असऽय कथन नहछ करेगा ;

(तीन) िबना उस पर "डुऽलीकेट" कऽ मुहर लगाये डुऽलीकेट रसीद जारी नहछ करेगा ;

(चार) िबना इस तःय का कथन 8कये िबना उस माल कऽ रसीद नहछ बनायेगा जो उसके +वयं के +वािमऽव का हो ।

48. लाइसे३स के ूदाय आ8द का ूकाशन – भंडाररय तौल करने वाल ूितचायक और ौेणी कारक को लाइसेनस के ूदाय साथ ही साथ लाइसे३स का िनलबन और िनर+तीकरण राजपऽ मः ूकािशत 8कया जायेगा। भंडारगृह कऽ सूची साथ ही साथ भंडारगृह के +थल और लाइसे३स ूा तौल करने वाल ूितचयक और रेणी कारक कऽ सूची भी समय समय पर राजपऽ मः ूकािशत कऽ जायेगी।

49. भंडार गृह को हाथ मः लेना—य8द 8कसी भंडारी के लाइसे३स के िनलबन अथवा िनर+तीकरण पर िविहत ूािधकारी का यह मत हो 8क उस भंडार को अपने हाथ मः ले िलया जाना चािहये वह उसे अपने हाथ मः ले सकेगा और 8कसी उपयु ि अथवा पंजीकृत सहकारी सिमित को भंडारी के कायभ्र का संचालन करने हेतु आदेश मः िविहत अविध के िलए जो औसत मः चार वषभ्र से अिधक न हो, िनयुि कर सकेगा। इस ूकार िनयुि ि अथवा ृ ि य को ऐसा पािरौिमक िमलेगा जो िविहत ूािधकारी िनयत करः और ऐसा पािरौािमक भंडारगृह कऽ आय पर और भंडारी ारा ू+तुत ूितभूित कऽ रािश पर ूथम भार होगा ।

50. पुन: +थापना अथवा नवीन लाइसःस जारी करना – आदेश मः िविहत अविध कऽ समाि् पर, िविहत ूािधकारी, य8द उसे यह पता चले 8क लाइसे३स 8के िनलबन अथवा िनर+तीकरण का

कोई कारण नहĭ है, लाइसेउस कऽ पुन: ̈थापना कर सकेगा अथवा नवीन लाइसेउस जारी कर सकेगा,

परउतु यĕद िविहत ◌ािधकारी का यह मत हो ĕक मूल भंडारी के पı मĽ पुन: ̈थपाना अथवा नवीन ◌दाय नहĭ ĕकया जाना चािहये तो िविहत ◌ािधकारी ऐसी शत और अनुबध पर, जो वह िनधाđरत करे, ĕकसी उपल ध सहकारी सिमित को, यĕद कोई हो, नवीन लाइसेउस जारी कर सकेगा ; परउतु उपबंध यह है ĕक मूल भंडारी इस ◌̈ताव पर सहमत हो अउयथा यĕद लाइसेउस पहले से िनर̈त नहĭ ĞआĞ तो अब िनर̈त कर ĕदया जायेगा और भंडारगृह का क जा उसके अिधकारी ◌ ि को दे ĕदया जायेगा।

51. अिधनयम के अउतगđत सूचना प — इस अिधनसम ◌ारा अथवा के अउतगđत अथवा भेजे जाने हेतु ◌ािधकृत उसके सूचना प अथवा आदेश अथवा उसके कागजात संबंिणत ◌ ि को, या तो ◌ िगत या पंजीकृत डाक ◌ारा या उसके अंितम ◌ात िनवास के ̈थान पर छोड़कर ĕदया जाएगा ।

52. िविहत ◌ािधकारी लाइसेउस का रिज̈टर रखेगा—िविहत ◌ािधकारी उसके ◌ारा जारी ĕकये गये लाइसĽस का एक रिज̈टर रखेगा जो दशाđएगा लासइसेन्स का मांक लाइसेउस कऽ ◌कृित लाइसेउस ◌ा कताđ का नाम लाइसेउस जारी करने का ĕदनांक िनलबन अथवा िनर̈तीकरण का ĕदनांक और ◌येक ◌िवि-◌ािधकारी के ह̈ताır से स◌यािपत कऽ जायेगी। इसी ◌कार का रिज̈टर िविहत ◌ािधकारी ◌ारा जारी ĕकये गये डुलीकेट लाइसेउस हेतु रखा जायेगा। कोई भी ◌ि ◌येक िनरीıण हेतु आठ आने का शुक जमा करके इस रिज̈टर का िनरीıण कर सकेगा ।

53. िनरसन और बचाव-- मय ◌देश कृिष भंडारगृह िनयम, 1951 और मय ◌देश राउय के ĕकसी ı मĽ सम̈त अउय समकı िनयम जोइन िनयम के ◌ारंभ के तुरउत पूवđ लागू थे, एत◌ारा िनरिसत ĕकया जाते है

परउतु यह कऽ इस ◌कार िनरिसत ĕकउही िनयम के अउतगđत कऽ गई कोई बात अथवा ĕकया गया कोई कायđ, जब तक ऐसी बात अथवा ĕकया गया कायđ इन िनयम के समकı ◌ावधान के अउतगđत कऽ गई अथवा ĕकया गया माना जायेगा ।

◌ाप 1

(िनयम 4 देिखए)

भंडारी के ৯प मঌ साय करने हेतु लाइसे३स का आवेदन

[अ३तगॅत धारा 4, म৸यप्रदेश कृिष भंडारगृह अिधिनयम, 1947]

सेवा मঌ,

1. मै/हम, भागीदार/मािलक/क৲पनी/सहकारी सिमित, एतद् द्वारा म৸य प्रदेश कृिष भंडारगृह अिधिनयम, 1947 के प्रावधान के अ३तगॅत, भंडारी के ৯प मঌ साय करने हेतु लाइसे३स के िलए, भंडारगृह के संबंध मঌ जो कृिष उपज के भंडारण के िलये …………….. िजला मঌ ि৾थत है/ह., आवेदन करता ৳ं/करते है।

2. साधारण ৯प से भंडारण करने पर भंडारगृह क৷ अिधकतम ি৖मता है –

………. …………… …………..ग৯े

……… ………… …………..मन (80 तौला प्र৒येक के 40 सेर)

……… ………… …टन…… ………… ………..पाउ৽ड

3. मेरे/हमारे (लेना ऋण देना) ৯पये………… ………….. से कम नह৹ ह.

म./हम करार करता ৳ं/ करते ह. ৊क सभी छूट और देनदा৊रय के अित৊र शु৸द माल। मतঌ भंडारगृह के संचालन से उ৒प৙ होने वाली देनदारी अथवा दाि৒व के भुगतान हेतु, उस सीमा तक रखूँगा/रखঌगे जो िविहत प्रािधकारी द्वारा िनयत क৷ जाए।

4. म./हम आपके सम৖ उस सीमा तक का बा৽ड प्र৾तुत क৯ँगा/करঌगे जो आपके द्वारा अपेि৖त हो और जो मेरी/हमारी लाइसঌस के अ३तगॅत उसके चालू रहने क৷ अविध मঌ उ৒प৙ होने वाली देनदा৊रय क৷ पूॢत करঌ।

5. म./हम करार करता ৳ँ/करते है ৊क आपके द्वारा इस अिभप्राय से िनयु৯ ি৯ को भंडारगृह का िनरी৖ण करने दूँगा/दঌगे और आपके द्वारा िविहत िनरी৖ण शु৿क तथा अ३य खचॳ का भुगतान क৯ँगा/करঌगे।

6. म./हम ৯पये …………….. का चेक शु৿क क৷ पूॢत हेतु अिग्रम जमा के ৯प मঌ संल৯ कर रहा ৳ँ/रहे ह.।

7. म./हम इस अिधिनयम, इसके अ३तगॅत बनाये गये िनयम के अनुब३ध को पालन करने

का करार करता ७ँ/करते ह.।

8. भ्ड्डडार-गृह स्बउधी सूचना िन् ानुसार है-

गोदाम का िववरण लम्बाई चौड़ाई ऊँचाई कुल ि्मता दीवाल कइ

कं्Дइट, गारा, ट, (लम्बाई*चौड़ाई*ऊँचाई) चौड़ाई

प०थर, बांस

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

छत का िववरण न७व का धरती से ्बउध आग फसभ्का का िववरण दरवाज और

ऊँचाई प०थर ट, कं्Дइट िखड़िखय कइ

सं या

(7) (8) (9) (10) (11)

वामी का नाम मािसक ठकराया

(12) (13)

भूिमय का दायं एल. आर. 1939 कइ दर पर भार

ि्ेुफल मू्य

(1) (2) (3) (4) (5)

मकान Дमांक ....

9. Oी .... भंडारगृह के मैनेजर ह गे और वही इसके प६रचालन और लेखा रखने हेतु उ७रदायी ह गे और ६रप ट द७गे ।

10.ठदनांक .... को आवेदक के ्वािम०व कइ ्थावर स्पि७ और भूिम िन् ानुसार है --

11. उपरो कथन मेरे/हमारे सव ७म ान और िव ास के अनुसार सही है, यह ्मािणत ठकया जाता है ।ह्तािर६रत ठदनांक ....

....

आवेदक के ह्तािर

नोट— भंडारगृह के संचालक हेतु लाइसेउस के िलये आवेदन के साथ संल होना चािहए –

(एक) िविहत ्ािधकारी ारा ्वीकृित ुिववरण, देना पावना दशात७ ७ए ।

ि ारा ्मािणत आवेदक का वतभ्कामान िव७ीय

(दो) क‿पनी के मामले मꣳ ꢀथापना के अनु꣖छेद और ꢀथापना के ꢀमरण प꣺ भागीदारी के मामले भागीदारी का करार और सरकारी सिमित के मामले मꣳ बाईलाज जो यह दशा꣩ते हो ꣌क आवदेक वैध ꣗प मꣳ भ꣖डारगृह हेतु ꣕ वसाय चलाने के िलये ꣤ािधकृत ह. ।

(तीन) भ꣖डारगृह का िवꢀतꣃरत जो यह दशा꣩एं ꣌क भ꣖डारगृह उन उपज꣋ अथवा उ꣰पादन꣋ के उिचत भंडारण हेतु उपयु꣊ है िजनके लाइसे꣪स के िलए आवेदक ने आवेदन ꣌कया है ।

(चार) आवेदक ꣮꣮ारा िलये जाने वाले खच꣋ का माप य꣌द उसे लाइसे꣪स ꣤दान कर ꣌दया जाये ।

꣤ा꣗प 2

(िनयम 5 एवं 8 देिखए)

भंडारगृह संचालन हेतु लाइसे꣪स

[अ꣪तग꣩त धारा 4, म꣐यꣂेश कृिष भंडारगृह अिधनियम, 1947]

काया꣩लय िविहत ꣤ािधकारी

थान ………………………… ꣌दनांक ……………………….

1.यह लाइसे꣪स म꣐य ꣤देश कृिष भंडारगृह अिधनियम, 1947 और उसके अ꣪तग꣩त बनाए गए िनयम꣋ के ꣤ावधान꣋ और इस लाइसे꣪स क꣇ शत꣋ और अनुबंधो के अ꣐यधीन ……………………………………......... भंडारी ꣕ साय चलाने हेतु मकान ꣵमांक ……………………… माग꣩ ……………………… वाड꣩ …………………….. नगर ……………………………….. िजला …………………………….. मꣳ िꢀथत भंडारगृह से संबंिधत ꣤दासन ꣌कया जाता है ।

2. लाइसे꣪स 30 जून………………….तक वै꣩ रहेगा ।

3. लाइसꣳसधारी भंडारण हेतु िविहत ꣤ािधकारी ꣮꣮ारा ꢀवीकृित अनुसूची मꣳ ꣌दये गये माप के अनुसार खच꣘ लेगा। जब तक िविहत ꣤ािधकारी ꣮꣮ारा ꢀवीकृत न ꣌कया जाये अनुसूची मꣳ कोई पꣃरवत꣩न नह꣒ ꣌कया जाएगा िविहत ꣤ािधकारी ꣮꣮ारा ꢀवीकृत अनुसूची और य꣌द यह ꣌कसी अ꣪य भाषा मꣳ है तो उनका िह꣪दी अनुवाद भंडारगृह मꣳ ꣤मुख ꣗प से ꣤द꣕शत ꣌कया जायेगा। लाइसꣳसधारी, उसके लाइसे꣪स के िनल‿बन अथवा िनरꢀतीकरण क꣇ दशा मꣳ उसे िविहत ꣤ािधकारी को साथ मꣳ उसके क꣎जे मꣳ िबना ꣤योग ꣼ई भंडारगृह क꣇ रसीदे स꣋प देगा।

4. वह अविध िजसमꣳ कृिष उपज जमा क꣇ जा सकेगी, ꣤ा꣥ क꣇ जा सकेगी अथवा दी जा सकेगी

इनका िववरण मोटे अᭃर᭠ म᭗ िलखकर भं᭛डारगृह के ᮧवेश ᳇ार पर ᮧदᳶशत ᳰकया जाएगा ।

5. भ᭛डारी अपने भ᭛डारगृह को अ᭒छी और उिचत हालात म᭗ रखेगा ।

िविभ ᮧकार के भंडार-गृह᭠ हेतु िव᭭तारपूवᭅक िनयम िविहत ᮧािधकारी ᳇ारा बनाये जाय᭗गे और भंडारगृह के ᭭थान और उसम᭗ भंडाᳯरत क᳎ जाने वाली व᭭तु᭠ को ᭟यान म᭗ रखते ᱟए उ᭠हे लाइसे᭠स क᳎ शत᭠ एवं अनुब᭠ध᭠ के ᱨप म᭗ लाइसेनस म᭗ समािव᭬कर ᳰदया जायेगा ।

शतᭅ एवं अनुबंध

……………………

िविहत ᮧािधकारी क᳎ मुᮤा

िविहत ᮧािधकारी के ह᭭ताखर

ᮧाᱨप 3

(िनयम 14 देिखए)

भंडारगृह संचालन हेतु लाइसे᭠स

[अ᭠तगᭅत म᭟यपᮤेश कृिष भंडारगृह अिधनियम, 1947]

अ᭠तरणीय/गैर अ᭠तरणीय

ᮓमांक ……………………….. भंडारगृह हेतु बा᭛ड क᳎ रािश ᱨपये …………………………..

……………….. ि᭠/फमᭅ/क᭥पनी/सहकारी सिमित का नाम …………………………..

…………………………. पता …………………………….. लाइसे᭠स ᮓमांक

…………………………. लाइसे᭠स समाि᳙ का ᳰदनांक ………………………….. यह ᮧमािणत ᳰकया जाता है ᳰक िन᳜ िलिखत संपि᱀, ᮧ᭜यᭃ म᭗ अ᭒छी हलत म᭗ िसवाय िन᳜ िवतरण के, भ᭛डारगृह म᭗ भ᭛डारण हेतु ………………… के खाते म᭗ ………………………….. से उि᭨लिखत शत᭠ एवं अनुब᭠ध᭠ के अ᭟यधीन ᮧा᳙ ᱟई। यह स᭥पि᱀ ………………………………………… को अथवा उसके आदेश पर अथवा धारक को, भं᭛डारण, उठा धरी और अ᭠य खच᭠ के भुगतान पर और संपि᱀ समᳶथत इस भ᭛डारगृह रसीद के स᭠पे जाने पर दी जायेगी ।

उपज का िववरण ◌ेणी तौल

(1) (2) (3)

भंडारण कड दर ………………….. ◌ृितमाह ठदनांक ……………………. से उठी धरी कड दर

……………………. आना और जाना सि◌मिलत ……………………………. इस संपि◌ पर

अिUम ठदया जा चुका है और भार िन◌ानुसार हो गया है ;

ढुलाई ……………………………..……….. भाडा ……………………………….. अिUम

…………………………………………………………………………. (◌ौरे ठदएं जाए)

अ३य खच ……………………………………. (◌ौरे ठदए जाएं)

(भ◌डारी का नाम िलखा जाए)

सम◌त वै खच◌ माल के भ◌डारण और आर◌ण हेतु अिUम ठदये गये धन हेतु सम◌त वै दावे,

◌याज, बीमा, ,खच◌, ढुलाई, मजदूरी के खच और ऐसे माल से स◌बि३धन अ३य खच◌ और ◌य हेतु

Uहणािधकार का दावा है ।

भ◌डारी के ह◌ता◌र

जारी करने का ठदनांक……………………..

िन◌िलखित माल एतद◌ारा इस रसीद से मु◌ करके भंडार गृह से ठदया जाता है । शेष बचा

मु◌ न ठकया गया माल भुगतान नह◌ ठकये गये खच◌ और मु◌ भाग पर अिUम के गृहणािधकार के

अ३तग◌त है –

ठदनांक	मु◌ कड गई मा◌ा	ह◌ता◌र	रसीद पर लेना बाकड मा◌ा
(1)	(2)	(3)	(4)

भ◌डारण हेतु शत

1.भ◌डारण हेतु िनिवदा- (अ) भंडारण हेतु सम◌त माल, उिचत ढंग से मु◌ा◌ठकत और उठाधरी हेतु बंधा ◌आए भ◌डारगृह पर ठदया जायेगा । जमा करने वाले को माल देते समय अथवा उसके पूव◌ ◌प-िनशािनयां माक◌ अथवा बताना चािहये जो अलग रखे जाय◌ और उसका अलग िहसाब

रखा जाये और अपिेंित भण्डारण कऽ ०ेणी बताना चािहये अ३यथा माल को देर मꢀ अथवा फुट लाट मꢀ, भण्डारी कऽ इच्छानुसार रखा जायेगा और तदनु९प उसका खचꢁ िलया जायेगा—

(आ) यहां ꢂयु꣌ शꢃद "लाट" से ता०पयꢁ माल कऽ इकाई अथवा इकाईयां िजनका अलग लेखा भंडारी ꢄारा रखा जायेगा ।ꢅकसी लाट कऽ समꢆत अथवा कोई इकाईयां िबना पयचात वतꢇ भंडारण के दे दी जायेगी जब तक ꢅक िवषेश ꢂबंध न ꢅकया जाये और उसके िलए अलग खचꢁ लगेगा ।

(इ) जब तक अ३यथा ꢂावधान न हो भंडारी उसी ꢂकार बधꢀ ꢈए माल के भंडारण और स꣌पने के िलए उꢉरदायी होगा िजस ꢆप मꢀ वे उसे मूलत- ꢂाꢊ ꢈये है ।

2. भण्डारण अविध –(अ) जब तक अ३यथा ꢂावधान न हो समꢆत माल माहवारी आधार पर भण्डाꢋरत ꢅकया जाता है भण्डारण माह ꢅकसी माह के ꢅदनांक से अगले मꢀ उसी ꢅदनांक तक और समꢆत माह꣌ तक (उसी ꢅदनांक को सिꢌमिलत न करते ꢈए) िवꢆतारपूवꢁक होगा पर३तु यꢅद अगले माह मꢀ वैसा समकꢍ ꢅदनांक न तो उसका िवꢆतार इस माह के अंितम ꢅदनांक तक होगा । जब अंितम भंडारण माह का अंितम ꢅदन रिववार को अथवा ꢅकसी वैधािनक अवकाश के ꢅदनांक को पडता है तो भंडारण माह अगले ꢎ साय के ꢅदनांक पर समाꢊ समझा जायेगा ।जब तक अ३यथा ꢂावधान न हो भण्डारण और बीमा के खच꣌ को सिꢌमिलत करते ꢈए समꢆत खचꢏ माहवारी आधार पर रहꢀगे ।

(आ)- (एक) यꢅद माल शीꢐ न꣏ होने वाली ꢂकित का है अथवा उसके भण्डारण से अ३य सिꢌपिꢉ ꢍित हो सकती है तो भण्डारी उन पꢋरिꢆथितय꣌ मꢀ माल हेतु रसीद के धारक को, यꢅद भण्डारी को धारक का नाम और पता ꢑात है अथवा उसे ꢑात है अथवा ꢑात नहꢒ है तो जमा करने वाले को युि꣌युꢓ संभव सूचना पꢔ देगा िजसमꢀ उससे अपेꢍा कऽ जायेगी कऽ वह भल पर गृहणािधकार कऽ तुिꢕकरता और माल नहꢒ उठवाता हो तो भण्डारी माल को सवाꢁजिनक िवꢖय ꢄारा बेच सकेगा ।

(दो) यꢅद भण्डारी युि꣌ युꢓ ꢂचारण के पूꢊात माल को नहꢒ बेच पाता तो वह उसका िनपटारा ऐसी रीित मꢀ कर सकेगा जैसी वह उिचत समझे और इस कारण उस पर

कोई दाियत्व नहीं जायेगा ।

(तीन) इस शतृ के पालन मे ंकये गये ंकसी िवक्रय मे ंप्रा राशि भंडारी अपने गृहणािधकार कं तुि मे ंउपयोग करेगा और शेष रािश को रसीद के धारक हेतु ंयास मे ंरखेगा ।

3. माल देने कं अपेंाये—(अ) माल को देने हेतु अंतरित करने हेतु िनदेश सदैव िलिखत मे ंह ंगे और उप पर भंडारकताृ ंारा िधकृत अिभकताृ के हंताेर ह ंगे –

(आ) जब अंतरणीय रसीद जारी कं जाती है तो उस रसीद के अंतगृत माल नहीं ंदया जायेगा जब तक कं रसीद पर संपि समथृत के िनरंतीकरण अथवा अंश मे ंदये जाने हेतु समृथन के िलए रसीद संप नहीं दी जाती ।

(इ) यंद अंतरणीय सरीद खो जाये अथवा न हो जाये तो उसके अंगृत माल नहीं ंदया जायेगा जब तक उस माल के कजे का वैधािनक अिधकारी ंिं डुलीकेट रसीद ंा न कर ले और उसे संप न दे। डुलीकेट रसीद ऐसी शत और अनुबंधो पर और अिधिनयम और िनयम के अंतगृत उपबंधोके अनुसार भंडारी को ंकसी दाियत्व के िवध ेितपूरण का बांड ंदये जाने पर, जारी कं जायेगी ।

4. दाियत्व—(अ) भंडारी माल को रखने कं िविध मे ंअपेिेत युि यु सावधानी और सतृकता बतृने का उरदायी है-

(आ) भंडारी जमा ंकये जाने के ंदनांक पर माल के मूय कं सीमा तक उरदायी है, अथाृत ंपये............ंित........जब तक ंक जमा करने वाले ने उस रािश से अिधक मूय कं घोषणा न कं हो और बढी ंई देनदारी के िलये अितरि खचृ न ंदये ह ।

(इ) शी न होने वाला माल और ऐसा माल, िजसे ताप मे ंपिरवतृन के कारण ेित हो सकती है को ऐसी ेित के िलये जो भंडरण कं सामांय पिरंथितय मे ंहो सकती है ंवामी के जोिखम पर ंवीकार ंकया जाता है ।

(ई) जमा करने वाला माल ऐसे समय माल कऽ जांच करेगा और पूणҟ ҭयौरे सिहत माल को ि͂ित का, यҽद कोई हो, भंडारी को माल लेने के 72 घҵटҺ के भीतर सूचना पҰ देगा। सूचना पҰ कऽ एक ᮧित िविहत ᮧािणकारी को भी भेजी जायेगी। यҽद जमा करने वाले ने समय पर माल को ᭃई ि͂ित का सूचना पҰ नहҺ ҽदया तो भҵडारी के िवᱧ҇ कोई दावा वै҇ नहҺ होगा। इसी ᮧकार का सूिचत पҰ जमा करने वाले को पता चलता है ҽक माल को भҵडारगृह मҶ हािन अथवा नुकसानी हो रही है ।

(उ) भंडारी सामाҲय और पराҟपरागत तौल मҶ कमी के िलये उҧरदायी नहҺ होगा ।

(ऊ) जब तक भҵडारगृह कऽ रसीद मҶ िवशेष ᱨप से उҶलेिखत न हो, भंडारी को माल कऽ िवशेषता ि̊थित मूҶय और सामाҲय कऽ कोई जानकारी नहҺ रही मानी जायेगी ।

5.खचҺ कऽ अनुसूची—जब इन संिवदा कऽ शतҺ और अनुंबधҺ मҶ भҵडारी ҇ारा ҽदये जाने वाले खचҟ हेतु ᮧावधान ҽकया जाये, ऐसे खचҟ अथवाखचҷ भҵडारी को उस समय कऽ लागू अनुसूची से अिधक नहҺ हҺगे जब तक खचҟ लगाया जाना है अथवा सेवा दी जाना है ।

अिधकतम खच᭠ कऽ अनुसूची वह होगी जो िविहत ᮧािधकारी ҇ारा ̊वीकृित कऽ गई हो।

भंडाҹरत माल कऽ बीमा आग आҽद के िलये ᱧपये ……………. का है और भंडारगृह ᱧपये ………………….. के िलये बीमा कृत है ।

यҽद माल को जमा करने कऽ ᮧाथҟना पर एक कमरे से दूसरे कमरे मҶ अथवा एक भҵडारगृह से दूसरे मҶ ̊थानाҲतҹरत ҽकया जाता है तो उसके िलये खचҟ िलया जायेगा ।

भҵडारी भी अपने खचҟ िबना सूचना पҰ ҽदये भҵडाҹरत ҽकसी माल को भҵडारगृह के एक कमरे से दूसरे कमरे मҶ ̊थानाҲतҹरत कर सकता है परҲतु ऐसे ̊थानाҲतरण से भҵडारण कऽ Оेणी मҶ अҲतर नहҺ होना चािहये ।

जमा करने वाले के िहत मҶ कऽ गई उठा धरी, लदाई, उतराई और अितҹरҳ सेवाҸ, जैसे ҽक मरҟमत सुखाना पुन: भरना तौलाना आҽद, के िलए जमा करले वाले ҇ारा खचҟ सामाҲय अनुसूची के अितҹरҳ देना होगा ।

ॖॊॗप 4

(िनयम 34 देिखए)

कृिष उपज के तौल/ॖितचयन/ॳेणीकरण के लाइसेॉस हेतु आवेदन

1.म. एतॎारा मॅय ॖदेश भ़्ङारगृह अिधिनयम, 1947 और उसके अॉतगॆत बनाये गये िनयमॉ के अॉतगॆत तौलने/ॖितचयन करने/ॳेणकरण करने और तौल/नमूने ॳेणी हेतु ॖमाण पॄ जारी करने के लाइसेॉस हेतु .... (कृिष उॆपादन का उॣलेख करॆ) आवेदन कताॆ ॑ं ॏक िन्लाइसेॉस ॖाॊ भ़्ङारगृह मॆ भ़्ङाॏरत है अथवा भ़्ङाॏरत कॏ जाने वाली है अथवा िजन भ़्ङारगृहॉ के लाइसेॉस के िलये मॅय ॖदेश भ़्ङारगृह अिधिनयम, 1947 के अॉतगॆत आवेदन ॏकया गया है ।

भ़्ङारी का नाम भ़्ङारगृह का नाम भ़्ङारगृह का ॅथल (1) (2)

(3) (एक)

(दो)

2. मॆ अिधिनयम और िनयमॉ के उन अनुबंधो का पालन करने करार करता ॑ं िजसका संबंध मुख से हो।

(आवेदक ॎॎारा उॖेॏरत करने हेतु ॖॗ यॏद आवेदकिविभ़ कायॉ के िलये लाइसेॉस हेतु आवदेन करता है तो अलग ॖॊॗप का उपयोग करॆ)

3. अपनी सही आयु और जॉमितिथ बताओ ।

4. तुॗहारा वतॆमान रोजगार ॎया है और ॏकस के ॎॎारा िनयोिजत हो ?

5. अपने िपछले पांच वषॉ के रोजगार का उॣलेख करो ।

6. ॎया तुम कभी सेवामुॎ ॏकये गये हो यॏद हां तो िनयोजन का नाम और पता बताओ और ऐसी सेवा मुिॎ के कारण बताओ ।

7. ॎया तुम वतॆमान मॆ अथवा पूवॆ मॆ कभी ऐसी ही सेवाॉ के िलये लाइसेॉस ॖाॊ रहे हो िजनके िलये लाइसेॉस का आवेदन ॏकया गया है यॏद हां तो ॎयौरे दो ।

ॎया तुमने पूवॆ कभी ऐसी ही, सेवाॉ के िलये लाइसेॉस हेतु आवेदन ॏकया गया है ? यॏद हां तो ॎयौरे दो । यॏद तुमने कोई योॎयताएं ॖािॊ कॏ ह. तो उनके ॎयौरे दो ।

8.ॎया तुम उस कायॆ के िलये शारीॏरक ॗप से तॉदॗॅत हो िजसके िलये तुम लाइसेॉस कॏ अपेॅा करते हो ? यॏद तुॗहे आँख कॏ कोई खराबी है अथवा नेॄ रोग ह. तो बताओ ।

9.ऐसे तीन ृ ि य के नाम और पते बताओ िजनको तु हारी यो यता का ि ान ह. । उनम दो ृ ि ऐसे होना चािहये जो ऐसी यापाईरक सं था मे लग ह जो उन उ पादन कइ देखभाल का काम करती ह,

जो इस आवेदन के अ तगऋत आत है ।

10.उस थान का नाम बताओ जहां तु हे रखे जाने कइ इ छा है। म घोिषत करता ँ ठक पूवऋवत कथन मेरी सव म जानकारी और िव ास के अनुसार स य है। थान..........................

ठदनांक..........................

....

आवदेक के ह ता र

ृ प 5

म य ृदेश कृिष भ डारगृह अिधनयम, 1947

तौल/ृितचयन/ ेणी ृमाण प

ृमाण प का मांक ....

यह ृमािणत ठकया जाता है ठक ी .... ारा ....

भ डारगृह मांक .... नाम .... थल .... म जमा ठकया गया माल का तौल ठकया गया है/ृितचयन ठकया गया है/ ेणी कर म मेरे ारा ठकया गया है और उसका तौल/नमूना/ ेणी इस ृकार है –

अ अथवा उपज कइ अनुमािनत मा ा जो ृमाण-प के अ तगऋत आती है।	अ अथवा उपज का ृकार जो इस ृमाण-प के अ तगऋत आती है	ेणी/तौल/नमूना अ अथवा उपज का			
		तौल	ेणी	नमूना	पहचान
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

यह ◌ॖमाण प◌ु म◌्य ◌ॖदेश कृ◌िष भ◌ु◌ंडारगृह अिधनियम, 1947 और उसके अ◌ंतगभ◌ूत बनाये गये ◌िनयम◌ों के अ◌ंतगभ◌ूत लाइसे◌ंस ◌ॖ◌ा◌् तौल करने वाले/◌ॖ◌ितचयक/◌ेणीकारक ◌ारा जारी ◌ंकया जाता है । ◌ं

थान..................

ठदनांक................

तौल करने वाले/◌ॖ◌ितचयक/

◌ेणीकारक के ह◌ता◌ंर

....